जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखीसराय

डी0एल0एड0 प्रशिक्षण सत्र 2020–2022 में द्वितीय सूची में चयनित

अभ्यर्थियों का नामांकन हेतु आवश्यक निर्देश

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखीसराय, 2020–2022 में प्रथम सूची से नामांकन के उपरांत रिक्त सीटों पर नामांकन हेतु द्वितीय मेधा सूची प्रकाशित की गयी है।

1. द्वितीय मेधा सूची में चयनित अभ्यर्थियों के नामांकन की तिथि – 08/02/2021 एवं 09/02/2021 है।

नोट–

1. द्वितीय सूची में चयनित वह अभ्यर्थी नामांकन के लिए संस्थान में नहीं आएँ जिन्होंने इण्टरमीडिएट कला/विज्ञान/वाणिज्य/उर्दू की परीक्षा 21 जनवरी 2020 के बाद उत्तीर्ण की हो।

2. द्वितीय सूची में चयनित अभ्यर्थी अपने साथ CLC/SLC की मूल प्रति अवश्य रूप से लाएँ। किसी भी परिस्थिति में इसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

3. वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा विज्ञान(Science) विषय से उत्तीर्ण किया है और नामांकन हेतु कला(Arts) विषय का चुनाव किया है या जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा कला(Arts) विषय से उत्तीर्ण किया है और नामांकन हेतु विज्ञान(Science) विषय का चुनाव किया है, उनका नामांकन नहीं होगा।

2. नामांकन शुल्क **(सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के लिए 11500.00 (ग्यारह हजार पाँच सौ) एवं अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/दिव्यांग के लिए 7000.00 (सात हजार)।**
   - नामांकन शुल्क की राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट **Principal DIET Lakhisarai** के पदनाम से बनाएें जो Lakhisarai में भुगतेय हो या **Principal DIET Lakhisarai** के खाता संख्या **38395733876** **(IFSC Code – SBIN0002968)** भारतीय स्टेट बैंक लखीसराय, मुख्य शाखा में जमा करें।
3. **अभ्यर्थियों को निम्नांकित मूल दस्तावेंजों को लाना अनिवार्य है–**
   1. आवेदक द्वारा किए गए Online आवेदन की मूल प्रति।
   2. मैट्रिक/मध्यमा/फौकानिया का मूल प्रमाण पत्र, मूल अंक पत्र एवं मूल प्रवेश पत्र।
   3. इण्टरमीडिएट/मौलवी का मूल प्रमाण पत्र, मूल अंक पत्र एवं मूल प्रवेश पत्र।
   4. विद्यालय/महाविद्यालय मूल परित्याग प्रमाण पत्र। (CLC/SLC)
   5. आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र (आरक्षण कोटि हेतु)।
   6. निःशक्तता प्रमाण पत्र (दिव्यांग कोटि हेतु)।
   7. सामान्य 10 प्रतिशत आरक्षण हेतु मूल प्रमाण पत्र (अद्यतन)।
   8. नवीनतम फोटो (पासपोर्ट साइज)।
   9. सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति **(तीन प्रतियों में)**। दो फाइल बाँधने वाला, एक फाइल में तीनों छायाप्रति एवं एक फाइल में सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र के साथ।
   10. कार्यपालक दण्डाधिकारी (संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी) या Notary के द्वारा सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र सही होने के संबंध में शपथ पत्र।
4. निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं कराने, अपेक्षित प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता या किसी भी प्रमाण पत्र की अवैधता की स्थिति एवं निर्धारित की गयी तिथि को उपस्थित नहीं होने पर नामांकन का दावा स्वतः समाप्त माना जाएगा।
5. नामांकन के पश्चात किसी भी परिस्थिति में नामांकन शुल्क की राशि वापस नहीं की जाएगी।
6. उपर्युक्त सभी शर्तों को पूरा करने पर आपका नामांकन औपबंधिक रूप से किया जाएगा।

6/2/21

प्र0 प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
(डायट) लखीसराय।